# नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

का

# नागरिक अधिकार पत्र
# (सिटीजन चार्टर)

## 1. विभाग का विवरण/कार्य कलाप

नागरिक उड्डयन विभाग का मुख्य कार्य राजकीय विमानों से विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों की प्रदेश के अन्दर एवं बाहर शासकीय हवाई यात्रा सम्पन्न करना, प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण अथवा अधिकारीगण की विशेष शासकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हवाई यात्रा को सम्पादित किया जाना, आपदा अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र वायु सेवा के माध्यम से कार्यवाही करने के लिए सुविधा प्रदान किया जाना, वायुयानों का अनुरक्षण अपने ही वर्क शाप में किया जाना एवं विभिन्न क्षेत्रों में स्थित राजकीय हवाई पट्टियों का रखरखाव आदि की व्यवस्था को देखा जाना है। विभाग द्वारा उड्डयन क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यो में भी महत्वपूर्ण योगदान किया जाता है। विभाग उड्डयन क्षेत्र में नीति निर्धारण में भी योगदान करता है।

विभाग के अधीन निम्न इकाई पृथक-पृथक कार्य क्षेत्र के आधार पर अपनी विशिष्ट कार्य अपेक्षाओं के अनुसार कार्य कर रही हैं:-

(1) परिचालन इकाई
(2) अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई
(3) एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट

## परिचालन इकाई:

इस इकाई का राजकीय उड़ान कार्यो के सम्पादन हेतु संगठित विमान बेड़े का सुचारू, सुरक्षित एवं अल्प सूचना पर परिचालन के लिए हर समय तैयार रहना अनिवार्य है ताकि विशिष्ट/अति विशिष्ट महानुभावों को शासकीय प्रयोजन हेतु सम्पादित होने वाली उड़ानों, राजकीय कार्यकलापों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण तथा आपात प्रयोजनों, दैवी आपदा, कानून व्यवस्था की समस्या तथा अन्य आकस्मिकताओं आदि के समय राहत एवं बचाव कार्य का सम्पादन निर्वाध रूप से हो सके। राजकीय वायुयानों एवं हेलीकाप्टरों के परिचालन हेतु इस इकाई में प्रबन्धक, पायलेट तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 32 पद विद्यमान हैं।

## अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाईः

उचित प्रशासनिक नियंत्रण/पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए इस इकाई का दायित्व परिचालित हो रहे वायुयान/हेलीकाप्टरों के अनुरक्षण, आवधिक शेडयूल्स, मेजर शेडयूल्स, उड़ान योग्यता प्रमाणीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुरक्षण संबंधी कार्यो के लिए फालतू पुर्जो का क्रय, उनके सुरक्षित भंडारण तथा वायुयानों के ओवरहाल/अनुरक्षण आदि से सम्बन्धित अन्य कार्य, जो विभागीय कार्यशाला में सम्पादित नही हो सकते है, का निर्माता कम्पनी या उनके द्वारा अधिकृत कम्पनी/फर्म, भारत सरकार नागर विमानन विभाग, नई दिल्ली से अनुमोदित कम्पनी/फर्म से सम्पादित कराया जाना तथा तत्संबंधी अन्य विविध कार्यो को सम्पादित कराया जाना है। यह इकाई राज्य सरकार की हवाई पट्टियों का अनुरक्षण, नई हवाई पट्टियों का निर्माण तथा हैंगर, कार्यशालायें, कार्यालय एवं आवासीय भवनों का अनुरक्षण कार्य सुनिश्चित करती है। इस इकाई में विभिन्न संवर्गो के कुल 119 पद विद्यमान हैं। यह इकाई उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व की हवाई पट्टियों को निजी संस्थाओं को उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम/वायुयान अनुरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु उपयोग किये जाने के कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यह इकाई विभिन्न विभागीय बिन्दुओं पर नीति निर्धारण में भी सहयोग करती है।

## एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 :

एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी थी। पूर्व में इस संस्थान द्वारा वायुयान अनुरक्षण अभियंत्रण (मेकेनिकल स्ट्रीम) में 20 प्रवेश क्षमता के साथ त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान किया जा रहा था। वर्ष 2009 में मेकेनिकल स्ट्रीम में प्रवेश क्षमता 20 के स्थान पर 30 कर दी गयी। वर्ष 2011-12 से वायुयान अनुरक्षण अभियंत्रण (एवियानिक्स स्ट्रीम) भी प्रारम्भ किया गया है। इस प्रकार यह संस्थान प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त वायुयान अनुरक्षण अभियंत्रण का मेकेनिकल एवं एवियानिक्स स्ट्रीम में 30-30 प्रवेश क्षमता के साथ त्रिवर्षीय डिप्लोमा प्रदान करता है। यह त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्य क्रम ऐसा है जो महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार द्वारा आयोजित Basic Aircraft Maintenance Engineering Certificate (BAMEC) की परीक्षा को उत्तीर्ण करने में सहायक है। इस प्रयोजनार्थ यह संस्थान महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार द्वारा भी अनुमोदित है और इस संस्थान में प्रशिक्षणार्थी छात्र प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा प्रदत्त त्रिवर्षीय डिप्लोमा के साथ-साथ समानान्तर रूप से महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार द्वारा आयोजित उक्त BAMEC हेतु आयोजित परीक्षाओं में प्रतिभाग करने के लिए भी अर्ह हैं। संस्थान की शैक्षणिक गुणवत्ता अत्यन्त ही उच्चकोटि की है जिसके कारण संस्थान वायुयान अनुरक्षण के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखता है। संस्थान में शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल 35 पद विद्यमान हैं जिसमें एक पद अंशकालिक है।

## संस्थान में निर्णय लेने की प्रक्रिया

### (क) प्रवेश हेतुः-

संस्थान में उपरिलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया जाता है। प्रवेश हेतु परीक्षा संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उ0प्र0 द्वारा आयोजित की जाती है। उक्त प्रवेश परीक्षा में भारत के सभी नागरिक, जिनके पास निर्धारित न्यूनतम् अर्हता है, प्रतिभाग कर सकते हैं। इस प्रवेश परीक्षा के आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची संस्थान को उपलब्ध करायी जाती है, जिसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता है।

### (ख) परीक्षाओं हेतुः-

### (1) डिप्लोमा परीक्षाः-

संस्थान में मेकेनिकल स्ट्रीम एंव एवियानिक्स स्ट्रीम प्रथम, द्वितीय एंव अन्तिम वर्ष के छात्रों की डिप्लोमा परीक्षा प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाती है।

### (2) लाइसेन्स परीक्षा :-

संस्थान में एयरक्राफट मेन्टीनेन्स इंजीनियरिंग लाइसेन्स परीक्षा महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। जो छात्र महानिदेशक नागर विमानन भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता पूर्ण कर लेते हैं वे इस लाइसेन्स परीक्षा में सम्मिलित होते हैं।

### (ग) वित्तीय एंव प्रशासनिक कार्यः-

संस्थान के वित्तीय एंव प्रशासनिक कार्यो का सम्पादन निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, जो कि संस्थान के पदेन निदेशक भी हैं, द्वारा वित्त नियंत्रक, उप निदेशक, प्रधान प्रवक्ता/मुख्य प्रवक्ता एवं अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सहयोग से सम्पादित किया जाता है।

### (3) मानकों का विवरण :-

(क) **डिप्लोमा हेतुः-**

संस्थान में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारत सरकार तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार शिक्षण-प्रशिक्षण कार्य किया जाता है।

(ख) **लाइसेन्स हेतुः-**

संस्थान महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। अतः महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार द्वारा सिविल एवियेशन रिक्वायरमेन्ट का भी पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है।

(ग) **वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यो हेतुः-**

निदेशक संस्थान के विभागाध्यक्ष घोषित हैं और उप निदेशक संस्थान के कार्यालयाध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य सुसंगत शासनादेशों तथा वित्तीय नियम संग्रह में दिये गये मानकों के अनुसार सम्पादित किये जाते हैं।

**अन्य विवरण :-**

(क) **संस्थान में चल रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :**

1. डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजीनियरिंग(मैकेनिकल स्ट्रीम)
2. डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजीनियरिंग (एविऑनिक्स स्ट्रीम)

(ख) **संस्थान की प्रवेश-क्षमता** : 30+30 = 60 छात्र प्रतिवर्ष

(ग) **प्रवेश के लिये वांछित न्यूनतम योग्यता :**

इंटरमीडियट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण भैतिकी, रसायन एवं गणित विषयों में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य।

(घ) **प्रवेश-परीक्षा :**

संस्थान में वायुयान अनुरक्षण अभियंत्रण के क्षेत्र में मैकेनिकल स्ट्रीम एवं एविऑनिक्स स्ट्रीम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक स्ट्रीम में संस्थान की प्रवेश क्षमता 30 छात्र प्रतिवर्ष है। संस्थान में प्रवेश हेतु

न्यूनतम् अर्हता भौतिकी, रसायन एवं गणित विषयों के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष तथा भौतिकी, रसायन एवं गणित विषयों में न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। शारीरिक रूप से परीक्षार्थियों का स्वस्थ होना भी आवश्यक अर्हता है।

(ड़) **<u>क्या महिला अभ्यर्थी पात्र हैं</u>** : हॉ

(च) **<u>आरक्षण</u>** : उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार।

(छ) **<u>प्रशिक्षण-शुल्क</u>** :

वर्तमान में लगभग रू0 12,670/- (रूपया बारह हजार छः सौ सत्तर मात्र) प्रतिवर्ष लिया जाता है।

(ज) **<u>छात्रावास</u>** :

संस्थान में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास निर्मित हैं। पुरूष प्रशिक्षार्थियों के लिए छात्रावास वर्ष 1992 में बना है जो सेक्टर-एफ0, एल0डी0ए0, कानपुर रोड, लखनऊ में स्थित है तथा बालिकाओं के लिए छात्रावास वर्ष 2009-2010 में तैयार किया गया है जो हिन्द नगर स्थित संस्थान की आवासीय कालोनी के परिसर में स्थित है। छात्रावास का शुल्क वर्तमान में लगभग रू0 2300/- (रूपये दोहजार तीन सौ मात्र) प्रतिवर्ष प्रति छात्र है।

(झ) **<u>परीक्षायें:-</u>**

(1) छात्रों को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा डिप्लोमा उत्तीर्ण करने पर ही परिषद् द्वारा डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। ये परीक्षायें वार्षिक आधार पर होती हैं।

(2) जो छात्र महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अर्ह होते हैं, वह उन परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। ये परीक्षायें वर्ष में तीन बार आयोजित की जाती हैं।

(3) छात्रों को उक्त परीक्षाओं हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान सम्बन्धित परीक्षा संस्थान को अलग से करना होता है।

## **<u>2. नागरिक उड्डयन विभाग की प्रदेश में स्थित हवाई पट्टियों का विवरण</u>**

| हवाई पट्टी | जनपद | अक्षांश | देशान्तर | समुद्र तल से ऊँचाई | रनवे क्यूडीएम | रनवे की लम्बाई/ चौड़ाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अकबरपुर | अम्बेडकरनगर | 26 26 एन | 82 34 ई | 350 फीट | 09/27 | 1820 X 30 मी0 |
| अन्धऊ | गाजीपुर | 25 37 एन | 83 34 ई | 225 फीट | 08/26 | 1580 X 24 मी0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अमहट | सुलतानपुर | 26 15 एन | 82 03 ई | 300 फीट | 09/27 | 1829 X 30 मी0 |
| धनीपुर | अलीगढ़ | 27 53 एन | 78 17 ई | 613 फीट | 11/29 | 1297 X 25 मी0 |
| फैजाबाद | फैजाबाद | 26 45 09 एन | 82 09 35 ई | 330 फीट | 12/30 | 1818 X 30 मी0 |
| फर्रूखाबाद | फर्रूखाबाद | 27 20 एन | 79 27 ई | 500 फीट | 09/27 | 1228 X 24 मी0 |
| डी0 भीमराव अम्बेडकर | मेरठ | 28 54.10 एन | 77 41.50 ई | 740 फीट | 11/29 | 1720 X 23 मी0 |
| झॉसी | झॉसी | 25 28.5 एन | 78 33.5 ई | 800 फीट | 15/33 | 1200 X 23 मी0 |
| कसया | कुशीनगर | 26 47 एन | 82 54 ई | 275 फीट | 10/28 | 1872 X 23 मी0 |
| म्योरपुर | सोनभद्र | 24 07 एन | 83 02 ई | 1122 फीट | 10/28 | 1422 X 25 मी0 |
| पलिया | खीरी | 28 27 एन | 80 35 ई | 500 फीट | 10/28 | 1620 X 23 मी0 |
| श्रावस्ती | बहराइच | 27 30 20 एन | 82 01 62 ई | 350 फीट | 12/30 | 1385 X 23 मी0 |
| सैफई | इटावा | 26 56 01 एन | 79 03 35 ई | 400 फीट | 15/33 | 2770 X 45 मी0 |
| मुरादाबाद | मुरादाबाद | 28 48 41 एन | 78 56 13 ई | 650 फीट | 12/30 | 2238 X 30 मी0 |
| आजमगढ़ | आजमगढ़ | 26 09 38 एन | 83 06 39 ई | 400 फीट | 14/32 | 1400 X 23 मी0 |
| चित्रकूट | चित्रकूट | 25 10 10 एन | 80 56 11 ई | 1050 फीट | 06/24 | 1400 X 23 मी0 |

## 3. नागरिक उड्डयन विभाग की अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई/परिचालन इकाई तथा एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः

### मुख्य अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः

### निदेशक

1. नागरिक उड्डयन विभाग की समस्त इकाइयों के विभागाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में समस्त कार्यो का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन।
2. मुख्य सतर्कता अधिकारी।
3. दि इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के साथ पठित दि इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 और उसके अन्तर्गत जारी सिविल एविएशन रिक्वायरमेन्ट के अन्तर्गत एकाउन्टेबुल मैनेजर का दायित्व।

### उप निदेशक

(1) समस्त इकाईयों का सामान्य प्रशासन।
(2) समस्त इकाईयों के कार्यालयाध्यक्ष।
(3) निदेशक के स्टाफ आफिसर का कार्य।
(3) सतर्कता अधिकारी।
(4) नोडल अधिकारी (विधिक) का कार्य।

(5) क्रय अधिकारी
(6) प्रभारी अधिकारी के रूप में प्रदेश में स्थित विभिन्न हवाई पट्टियों का रख-रखाव एवं नई हवाई पट्टियों का निर्माण कराना।
(7) इन्वेन्ट्री मैनेजमेन्ट/भण्डार अधिकारी, स्टोर में रखे वायुयानों/हेलीकाप्टरों के स्पेयर्स पार्ट्स तथा अन्य उपकरणों के रख-रखाव तथा इसके निमित्त तैनात कर्मियों के कार्यो का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन।

**<u>वित्त नियंत्रकः</u>**

(1) समस्त इकाईयों का वित्तीय नियंत्रण।
(2) सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न हवाई पट्टियों पर स्थापित उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों पर अपेक्षित नियंत्रण रखना।
(3) आन्तरिक लेखा परीक्षण।
(4) निदेशक को वित्तीय प्रकरणों में परामर्श देना।

**मुख्य सुरक्षा अधिकारी** :- सुरक्षा प्रबन्धन।

**मुख्य अभियंताः**

(1) अनुरक्षण उप इकाई के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य सम्पादन।
(2) सभी वायुयान अनुरक्षण अभियंताओं के कार्य का पर्यवेक्षण।
(3) समस्त वायुयानों/हेलीकाप्टरों के अनुरक्षण का शिड्यूल्ड अथवा नॉन शिड्यूल्ड अनुरक्षण सुनिश्चित करना।
(4) अनुरक्षण उप इकाई में कार्यरत सभी पदधारकों के कार्यो का पर्यवेक्षण और उपयुक्त गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
(5) सिविल एविएशन रिक्वायरमेन्ट-145 के अधीन बेस मेन्टीनेंस मैनेजर के रूप में कार्य करना।

**क्वालिटी मैनेजर**:- सिविल एविएशन रिक्वायरमेन्ट-145 के अधीन क्वालिटी मैनेजर के रूप में कार्य करना।

**प्लानिंग मैनेजरः** सिविल एविएशन रिक्वायरमेन्ट-145 के अधीन क्वालिटी मैनेजर के रूप में कार्य करना।

**वर्कशाप मैनेजरः** सिविल एविएशन रिक्वायरमेन्ट-145 के अधीन वर्कशाप मैनेजर के रूप में कार्य करना।

**वायुयान अनुरक्षण अभियंता**: विमानों से सम्बंधित अनुरक्षण कार्य सम्पादित करना।

**हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियंता**ः हेलीकाप्टर से सम्बंधित अनुरक्षण कार्य सम्पादित करना।

**वायुयान एवियानिक्स अभियंता**ः यानों के एवियानिक्स से सम्बंधित अनुरक्षण कार्य सम्पादित करना।

**प्रबन्धकः**

(1) अल्प सूचना पर उड़ानों का सुरक्षित सम्पादन सुनिश्चित करना।
(2) इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के साथ पठित इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 एवं सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप समस्त कार्यो का सम्पादन।
(3) परिचालन इकाई में तैनात पायलटों के सेवा सम्बन्धी एवं अन्य प्रकरणों को निदेशक के आदेशार्थ प्रस्तुत करना।
(4) यानों के परिचालन हेतु ए0टी0एफ0 की व्यवस्था कराना।

**पायलट (फिक्स्ड विंग/रोटर विंग):** उड़ानों का सम्पादन।

**मुख्य चिकित्साधिकारी** ः चिकित्सकीय कार्य, पायलटों व क्रू का उड़ान से पूर्व मेडिकल तथा Breath Analyser Test एवं सरकार द्वारा चलाई गयी जन-कल्याणकारी योजनाओं से विभाग के कर्मियों को अवगत कराकर लाभान्वित करना।

## 4. विनिश्चिय करने की प्रक्रिया :

अनुरक्षण सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन/परिचालन इकाई तथा एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अधीन क्रमशः वायुयानों का अनुरक्षण, परिचालन तथा प्रशिक्षण नागर विमानन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा बनायें गये नियमों के अर्न्तगत सम्पन्न कराया जाता है तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य संगत शासनादेशों/वित्तीय हस्तपुस्तिका में वर्णित प्राविधानों के अर्न्तगत सम्पन्न कराये जाते हैं।

## 5. कृत्यों के निर्वहन के लिए मापमानः

अनुरक्षण,सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई/परिचालन इकाई तथा एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अधीन अनुरक्षण, परिचालन एवं प्रशिक्षण संबंधी किये जा रहे सभी कार्य नागर विमानन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारत सरकार एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के मानको के अनुसार तथा सामान्य प्रशासन संबंधी कार्य शासन द्वारा जारी सुसंगत शासनादेशों तथा वित्तीय नियम संग्रह में दिये गये मानको के अनुसार सम्पादित किये जाते है।

## 6. विभाग की परिचालन इकाई, अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई तथा एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 के जन सूचना अधिकारीः

| क्रमांक | इकाई का नाम | जन सूचना अधिकारी | अपीलीय अधिकारी |
|---|---|---|---|
| 1 | सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन उप इकाई | श्री अभिजीत सान्याल, कम्प्यूटर प्रोग्रामर / प्लानिंग मैनेजर | श्री नुजहत अली, उप निदेशक |
| 2 | अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई की 'अनुरक्षण उप इकाई' | श्री मोती राय, वायुयान अनुरक्षण अभियंता | श्री शोभित दास, वायुयान अनुरक्षण अभियंता |
| 3 | परिचालन इकाई | श्री दीपक श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) | श्री प्रज्ञेश मिश्र, पायलट (रोटर विंग)/ प्रबन्धक (परिचालन) |
| 4 | एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट | श्री जी0एम0 रहनुमा, प्रधान व्याख्याता | श्री नुजहत अली, उप निदेशक |

## 7. अन्य विवरणः

मुख्य उद्देश्य विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों की उड़ानें सम्पादित करनें के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था तथा दैवी आपदाओं के समय त्वरित गति से परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। सभी उड़ानें राजकीय हित में सम्पादित की जाती है। वाणिज्यिक उड़ानें नही की जाती है।

--------